Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 05-08-2005

Participants : Suman Shri Ramji Lal,Krishnaswamy Shri A.,Mehta Shri Alok Kumar,Tirath Smt. Krishna,Radhakrishnan Shri Varkala,Mahajan Smt. Sumitra,Sen Smt. Minati,Rawat Prof. Rasa Singh,Shukla Smt. Karuna,Pal Shri Raja Ram,Rani Smt. K.,Mahtab Shri Bhartruhari,McLeod Smt. Smt. Ingrid,Kumar Shri Shailendra,Ramadass Prof. M.

an>

Title : Discussion regarding reservation of one third of seats for women in all the State legislatures and Parliament (Discussion not concluded)

–

15.33 hrs.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

Re: Reservation of one third of seats for women in all the State

Legislatures and Parliament- contd.

श्रीमती कृणा तीरथ (करोल बाग): सभापति महोदय, पिछली बार सदन में वूमैन रिजर्वेशन बिल श्री सी.के.चन्द्रप्पन द्वारा 6 मई 2005 को रखा गया था। जिस समय मैं बात कर रही थी, उसी समय दूसरा हाउस शुरू हुआ, इसीलिए आज मैं हाउस को बताना चाहती हूं कि इसमें महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन बिल आया, मैं इसके फेवर में कुछ बातें रखना चाहूंगी। इसमें जो एडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू वूमैन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट, राज्य सभा और लोक सभा दोनों सदनों में रखा गया है, मुझे अपने भारत देश के संविधान पर गर्व है जिसके निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने संविधान के तहत भी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। हर क्षेत्र में, पढ़ने-लिखने, रोजगार के क्षेत्र में और हर तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि महिलाएं बराबर की हकदार रहेंगी। आज उसी संविधान के तहत, भारत के दोनों सदनों में और भारत के सदनों के बाहर भी कोने-कोने में महिलाएं 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए पिछले 16 सालों से पूरी तरह से कसरत कर रही हैं। मैं इसीलिए इस बिल का समर्थन करना चाहती थी क्योंकि महिलाएं जिनका हम चहुंमुंखी विकास-शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक रूप से जिनका हम विकास करना चाहते हैं*[R36]

वह विकास तभी हो सकता है जब महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के रास्ते किसी तरह से बन्द नहीं होने चाहिए। इस देश में बराबरी का अधिकार जो हमें संविधान से मिला है, वह हमे चुनावों में और राजनीति में क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम राजनीति में पीछे क्यों रहें? मुझे लगता है कि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब महिलाओं को पूरा 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन फिलहाल हम 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से देश के कोने-कोने से महिलाओं की आवाज उठी है, उसे इस संसद में उठाने के लिए मुझे इस बात को यहां रखना पड़ा है। महिलाएं बड़ी सच्चाई और इमानदारी से अपना घर-बार चलाती है। बाहर दफ्तरों में जाने पर भी वे काम करती हैं, राजनीति में भी चुनकर आई हैं और मुझे गर्व है कि जिस समय वर्ा 1992 में कांग्रेस की सरकार इस जगह पर रही, तब हमारी पंचायती राज व्यवस्था, जिसे हमारे पूर्व युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, में महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। महिलाओं ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कठिनाइयां भी आईं, उनको बहुत से नाम दिए गए, लेकिन उनके पति लोगों ने उनका साथ दिया। कहीं-कहीं उनका मजाक भी उड़ाया गया लेकिन तब से अब तक के इतने वर्ों में महिलाएं इतनी सक्षम हो गयीं कि उन्होंने जीत, हार और तमाम चीजें देखीं। अब वे समझती भी हैं कि हमारे क्या अधिकार होने

चाहिए। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन गांवों में, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में अलग-अलग जगहो पर महिलाओं की अलग-अलग स्थिति है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हमें बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अवसर मिले।

जब देश आजाद हुआ था, महिलाएं बराबरी का अधिकार प्राप्त करते हुए आजादी की लड़ाई में भी कंधे से कंधा मिलाकर चली थीं, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई रही हों, या दूसरी बहुत सी अन्य स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं रही हों। आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं, अगर मैं उनके नाम गिनाने लगूं तो पूरा इतिहास लिख जाएगा। लेकिन हमें रिजर्वेशन दिए जाने को कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा टालने की कोशिश की गई है। बहुत सी सरकारें आयीं, लेकिन आज जब हमारी यूपीए की सरकार है, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, वह भी चाहती हैं कि महिलाओं का पूरा रिजर्वरेशन हो। सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हुए जिस प्रकार महिलाएं सरकारों में आएंगी, सरकारों में काम करेंगी, महिलाओं की तकलीफों को हल कर सकेंगी, उनके लिए क्या कानून और योजनाएं बननी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए काम कर सकेंगी। इसलिए हमें 33 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार सहित संसद के दोनों सदनों में मिलना चाहिए। इस आरक्षण में दलित महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों से आती हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, जब उनके लिए रिजर्वेशन रखेंगे तो वे उसे लेकर मुखर होंगी, उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगेगा, जिसके साथ वह कह सकती है कि वह भारत की महिला है, उसने भारत में जन्म लिया है। भारत की महिला होने के नाते वह अपने पूरे अधिकार जिन जगहों पर रखती है, वे अधिकार उसे दिए जाने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए मंत्रिमंडल में भी एक-तिहाई आरक्षण होना चाहिए।

15.39 hrs (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)

मेरे पास राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ आंकड़े हैं। वर्ा 1951-52 में बिहार विधानसभा में महिलाओं की संख्या 3.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 1.2 प्रतिशत, राजस्थान और केरल में शून्य, पश्चिम बंगाल में 0.8 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 2.9 प्रतिशत थी। इसी प्रकार वर्ा 1960 सं 1965 के मध्य बिहार में महिला सदस्यों की संख्या 7.9 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 4.4 प्रतिशत और राजस्थान में 4.5 प्रतिशत थी।[cmc37]

[R38]

मैं समझती हूं कि राजस्थान में महिलाओं ने तरक्की की। इसी तरह से केरल में भी शून्य प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत महिलाएं वहां की विधान सभा में चुन कर आईं। पश्चिम बंगाल में 4.8 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 3.3 प्रतिशत महिलाएं वहां की विधान सभाओं में चुन कर आईं। इस तरह से देखा जाए तो कहीं बढ़ोत्तरी और कहीं कुछ कमी 1997 तक विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में हुई। लेकिन 1998 में बिहार का आंकड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। राजस्थान में सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व वहां की विधान सभा में महिलाओं का रहा। केरल, पश्चिम बंगाल का भी कोई आंकड़ा नहीं है। आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 9.5 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आईं। इसी तरह से लोक सभा में 1996 में जब एक संविधान संशोधन पेश किया गया, तो वह संसदीय समिति को सौंपा गया। उस समिति ने 9 दिसम्बर, 1996 को 11 वीं लोक सभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। लेकिन लोक सभा भंग होने के साथ ही वह विधेयक भी समाप्त हो गया।

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। कांति सिंह जी यहां मौजूद हैं। वह भी उस मीटिंग में थीं, जिसमें हमने चर्चा की थी कि हमें यह आरक्षण अवश्य चाहिए। हम लोगों ने यह आवाज बुलंद की थी कि जब भारत के संविधान में बराबर का अधिकार सबको दिया गया है, तो हम फिर पीछे क्यों रहें। इसलिए संविधान का सम्मान रखते हुए हमें यह आरक्षण मिलना चाहिए। आज हर जगह महिलाओं के आगे बढ़ने कीबात कही जाती हैं। वे आगे बढ़ाती भी हैं, लेकिन स्वयं आगे नहीं आ पातीं। जब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। महिला मेहनती होती है, लेकिन जब उसे सीट देने की या चुनाव में खड़ा करने की बात आती है, तो यह कह कर कि वह कमजोर है, वह लड़ नहीं सकेगी, पीछे कर दिया जाता है। मेरे खयाल से यह भ्रांति है। इसे दूर करने के लिए अगर हमें आरक्षण की सुविधा मिलती है, तो मुझे विश्वास है कि महिलाएं पूरी ताकत से इस देश को सम्भालने की शक्ति रखती हैं। देश की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा जी

भी एक महिला थीं, जिन्होंने इस देश को सम्भाला। आज भी पूरा देश, यहां तक कि हमारी विरोधी पार्टियां भी, जिसमें वीएचपी भी है, यह बात कहती हैं कि इस देश में अगर किसी ने सही ढंग से शासन किया और इस देश को चलाया तो वह इंदिरा गांधी जी ने चलाया।

जब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था, उस समय अमेरिकी बेड़े की बात आई थी। तब श्रीमती इंदिरा जी ने कड़े लफ्जों में यह बात कही थी कि हम किसी से लड़ने की बात नहीं करते, लेकिन हमारी फौज बहुत ताकतवर है इसलिए या तो वह अपना बेड़ा हटा ले, नहीं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने अपना बेड़ा हटा लिया। इंदिरा जी के शासन काल में हमारे देश ने कई बुलंदियां हासिल की हैं। मैंने उनकी बात इसलिए कही, क्योंकि वह स्वयं एक महिला थीं, जो देश की प्रधान मंत्री बनीं। जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो आज महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की बात करना कोई अनुचित नहीं है। महिलाएं संसद में और बाहर भी चाहे एनजीओज के माध्यम से या दूसरे निकायों के रूप में अपनी बात करती हैं और झंडा लेकर खड़ी होती हैं कि हमें यह आरक्षण अवश्य चाहिए। ऐसा वह देश की तरक्की के लिए करती हैं, न कि अपने लिए।

आज महिलाओं के साथ कई अत्याचार हो रहे हैं। भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। प्राइवेट कम्पनी में, फैक्टरी में या सरकारी कार्यालय में जहां भी महिलाएं काम करती हैं, तो उनके जो अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हों या अन्य हों, उन पर अत्याचार करते हैं। अगर उसे रोकना है तो उन्हें यह आरक्षण दिया जाना चाहिए, तभी उनकी आवाज बुलंद हो सकेगी, नहीं तो दबी हुई आवाज को कुचल कर ही रखा जाएगा और वह अपनी आ वाज नहीं उठा सकेगी। इसलिए महिला का जो अधिकार है, वह उसे मिलना चाहिए। यह अधिकार उसे संविधान ने दिया है। वह तभी मिलेगा, जब उसे आरक्षण के द्वारा संसद और विधान सभाओं में सीट मिलेगी तथा सरकारों में उसका प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा कानून बनाने में, योजनाएं बनाने में जब वह पूरी तरह से सक्षम होगी। यह काम वह बखूबी कर सकती है[R39]।

यह मेरा ही मानना नहीं है बल्कि देश की तमाम महिलाओं का मानना है। वर्ा 1984 में महिलाओं की उपस्थिति लोक सभा में सबसे ज्यादा रही। उस समय कुल 544 सांसदों की संख्या में 44 महिलाएं थीं जोकि 8.1 प्रतिशत बैठती हैं। यह प्रतिशत भी उस समय था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज हम सभी मिलकर इस बात को पेश करें कि यह जो रैजोल्यूशन श्री चन्द्रप्पन जी का आया है उसे हम संसद में पास करायें। हमारी राज्य सभा सांसद माननीय अम्बिका सोनी जी ने भी यह बात उठाई है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

वर्ा 1952 से 1962 तक महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हुआ लेकिन वह इतना नहीं हुआ कि महिलाओं के अधिकारों की हर क्षेत्र में सुरक्षा हो सके। आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको हटाने के लिए यदि कोई बिल लाते हैं तो हमारी संख्या पूरी होनी चाहिए। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए महिलाओं की संख्या सदन में बढ़ें, आज इसकी जरुरत है।

आज महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। जब महिला बुजुर्ग हो जाती है तो उसके अपने बच्चे महिला को छोड़ देते हैं। हमने स्वधार योजना ऐसी ही महिलाओं के लिए बनाई है, उनके लिए डैस्टीट्यूट होम बनाए हैं लेकिन वहां भी उनका उद्धार नहीं है। उनका उद्धार तभी होगा जब उनकी भागीदारी सरकार में होगी, वे कानून बनाएंगी, सरकार चलाएंगी और तभी वे महिलाओं की समस्याओं को जान सकेंगी और आरक्षण को पूरा कर सकेंगी।

हमारे माननीय होम-मिनिस्टर साहब एक बिल लाए थे जिसमें उन्होंने कहा कि कि यहां पर हम अगर 800 सीटें कर दें तो 33 प्रतिशत आरक्षण उनको मिल जाएगा। लेकिन 800 सीटें करने के बाद भी उन्हें केवल 25 प्रतिशत ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन यह जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आज हमारी डिमांड है कि हमें इसी संख्या में से 33 प्रतिशत आरक्षण चाहिए। ठीक है 800 सीटें करने की बात हुई है लेकिन उसके बाद डी-लिमिटेशन है और यह कौनसी मामूली चीज है, परन्तु इसमें रिजर्वेशन की बात अटक जाएगी। आज डी-लिमिटेशन भारत में पूरी जगहों पर हो रहा है। विधान सभा क्षेत्रों का और संसदीय क्षेत्रों का डी-लिमिटेशन हो रहा है लेकिन डी-लिमिटेशन में पता नहीं चलेगा कि कौनसी सीट का रिजर्वेशन करें और कौनसी सीट का न करें। हमारी मांग है कि विधान सभाओं और संसद में हमारे लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन पूरी तरह से होना चाहिए।

एनडीए की सरकार इस बिल को पिछली बार गंभीरता से नहीं लाई। अगर वे इसे पूरी गंभीरता से लाते तो आज हमें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मुझे अपने भाइयों पर पूरा विश्वास है कि आरक्षण के मसले पर उनका पूरा समर्थन हमें मिलेगा।

इन्हीं शब्दों से साथ में इस बिल का समर्थन करती हूं और मुझे विश्वास है कि 33 प्रतिशत आरक्षण हमें विधान सभाओं में और संसद के दोनों सदनों में मिलेगा।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : सभापति महोदया, माननीय सी.के. चन्द्रप्पन जी यहां पर जो संकल्प लाए हैं मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि पुरुा प्रधान देश और पुरुा प्रधान समाज होने के बाद भी एक पुरुा यह संकल्प लाए हैं, इसलिए हमें पुरुाों की नियत पर संदेह नहीं होना SÉÉÉÊcA[r40] ।निश्चित रूप से वह धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदया, आजादी के 58 साल बीत गए। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो देश की नीतियों का निर्धारण करती है, जहां यह तय किया जाता है कि आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी, हमारी विदेश नीति क्या होगी, जहां शौचालयों से लेकर सड़कों और बिजली तक की व्यवस्था की बात होती है, बजट तय होता है, उस नीति निर्धारण में हम महिलाओं की कम संख्या होना इस बात का द्योतक है कि आजादी के 58 साल के बाद हिन्दुस्तान की जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह प्रगति शायद इसीलिए नहीं हो पाई कि सदन में हम लोगों की संख्या में कम हैं। हमारे देश का लोकतंत्र विश्व का सबसे विश्वसनीय लोकतंत्र माना जाता है। बाकी देश हमारे लोकतंत्र को बहुत अच्छा ...(व्यवधान) अगर आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे, तो कम से कम महिलाओं की बात आप लोगों के बीच भी आएगी ...(व्यवधान) !

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : हम दोनों हाथों से सपोर्ट कर रहे हैं।

श्रीमती करुणा शुक्ला : केवल इस तरह सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप की अध्यक्षा जी ने घोाणा पत्र में कहा था कि हम इसको लाएंगे। महोदया, 14 महीने बीत गए हैं, अभी तक यह नहीं आया है ...(व्यवधान) इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए ...(व्यवधान) सभापति महोदया, ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगी।

सभापति महोदया : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। ...(व्यवधान)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKPURA): This brings all men together across party lines to defeat this Bill. I am saying this with due respect to my brothers on this side and also that side. It is nice to see Madam Chairperson in the Chair who has given us some time to speak.

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, भारत का लोकतंत्र विश्व का जाना-पहचाना लोकतंत्र है। पर कैसा लोकतंत्र है? महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में जो उपस्थित हैं उनसे और जो इस सदन में अनुपस्थित हैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं है? अगर हम वर्ा 1952 से लेकर वर्ा 2004 तक महिलाओं की स्थिति को देखें, ये आंकड़े मेरे पास हैं। सीटों की संख्या बढ़ गई, लेकिन महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ी। वर्ा 1952 में 499 में 22, वर्ा 1957 में 500 में 27, वर्ा 1962 में 503 में 34, वर्ा 1967 में 523 में 31, वर्ा 1971 में 521 में 22, वर्ा 1977 में 544 में 19, वर्ा 1980 में 544 में 28, वर्ा 1984 में 544 में 44, वर्ा 1989 में 517 में 27, वर्ा 1991 में 544 में 39, वर्ा 1996 में 544 में 40, वर्ा 1998 में 543 में 43, वर्ा 1999 में 543 में 48, वर्ा 2004 में 543 में 44, यह स्थिति कितनी निराशाजनक है ...(व्यवधान) महोदया, कितने खेद का विाय है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप लोग इनकी बात को सुनिए।

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, हम पचास के आंकड़े को आज तक पार नहीं कर पाए हैं। कैसे इस देश की प्रगति होगी? कैसे इस देश की उन्नति होगी? यह स्थिति देश की सबसे बड़ी पंचायत की है, जो नीतियों का निर्धारण करती है। हम पचास फीसदी जनसंख्या में भागीदार हैं, भले ही बालिका भ्रूण हत्या होने की वजह से हमारी संख्या कम हो रही है। हम कहीं 1000 में 996 बच रहे हैं, कहीं 991 बच रहे हैं, इस तरह वहां भी भ्रूण हत्या की वजह से हमारी उपस्थिति कम हो रही है और यहां भी हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमारी उपस्थिति कम हो रही है।

मेरी सहयोगी बहन जो महिला सशक्तीकरण कमेटी की चेयरमैन भी हैं, उन्होंने यहां पर एक बात रखी कि हमें दलित बहनों को, अनुसूचित बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं, पर कृणा जी जरा इतिहास पर नजर डालिए कि कौन सी बहनें आगे बढ़ पाई हैं[c41]?

वही बहनें बढ़ पाई हैं जिन के सिर पर पति या पिता का हाथ था। इन्दिरा जी का उदाहरण सारे लोग देते हैं। आप यह बात जोर-शोर से कह रही थीं। वह किस के दम पर इस सदन में आईं? वह अपने पिता के दम पर यहां आईं, स्वंय के दम पर नहीं आई। बेनजीर भुट्टो किस के दम पर आई? अपने पिता के दम पर आईं। बंगला देश की शेख हसीना और दूसरी बहन किस के दम पर आईं? अपने पिता के दम पर आईं। ...(व्यवधान)

श्रीमती कृणा तीरथः महिलाएं अपने आप में सक्षम हैं। वे आएंगी। ...(व्यवधान)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Even after her father's demise, she proved to be a great leader. Indiraji took India to commanding heights. She was the unchallenged leader of her times. ... (*Interruptions*)

सभापति महोदया : आप अपने समय में अपने बात कह सकती हैं।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : महिला महिला की शत्रु होती है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदयाः कोई कुछ नहीं है। यह पुरानी बात है। बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। यहां से ऐसे कमैंट्स करना ठीक नहीं है। ये पुरानी बातें हो गई हैं। कोई महिला महिला की शत्रु नहीं होती।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, मैं कटु सत्य कह रही हूं। महिलाओं को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप दलित बहनों की बात करती हैं। श्रीमती मीरा कुमार इसलिए आई कि स्वर्गीय जगजीवन राम इस सदन के सदस्य थे। ...(व्यवधान) मैं उनकी बात करना चाहती हूं जो गांव की बहनें हैं, पिछड़े इलाकों की बहने हैं, जिन के सिर पर पिता, पति या भाई का वरदहस्त नहीं है। आरक्षण उन बहनों को चाहिए।

श्रीमती कृणा तीरथ : जो रिजर्वेशन है,. मैंने उसका जिक्र किया है। ...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

सभापति महोदयाः आपका एक बार भााण हो चुका है। आप बार-बार न टोकिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयाः आपने बहुत अच्छा बोला है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयाः कोई कुछ नहीं हो रहा है। हमने आपके झगड़े बहुत अच्छी तरह से देखे हैं।

… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, मेरी बहन शायद मेरे भाव समझ नहीं पा रही हैं। आरक्षण क्यों जरूरी है? इसकी मांग क्यों की जा रही है? आरक्षण के बिना यदि हम सोच लें कि हमारी 33 परसैंट बहनें इस सदन में आ जाएंगी, वह कभी नहीं हो सकता। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए कि ये बहनें इस कारण से सदन में आ पाईं और सर्वोच्च पदों पर पहुंच पाई। मैं केवल भारत का उदाहरण नहीं दे रही हूं। मैंने पाकिस्तान, बंगला देश का उदाहरण दिया। उदाहरण देने का अर्थ यही था कि वे अपने-अपने देश में सर्वोच्च

---

* Not Recorded.

पदों पर इसलिए आ पाई कि उनके सिर पर पिता या पति का हाथ था। दूरस्थ अंचलों में जो बहनें रहती हैं, अनुसूचित जाति की महिलाएं, आदि वासी महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, उनको जब तक आरक्षण नहीं

मिलेगा तब तक उनकी इस सदन में भागीदारी नही हो सकती। आप मेरी भावना को समझ नहीं पाईं। नाम लेने से आपको बहुत आपत्ति हो गई।

मैं दूसरी बात यह रखना चाहती हूं मैं 16 साल पहले की बात बता रही हूं। मैं पहली बार इस सदन की सदस्य बनी हूं। मैं विधान सभा में रही हूं। मैं विधान सभा में अशासकीय संकल्प लाई थी। 1996 से लगातर महिला आरक्षण बिल के लिए घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। इस सदन में रेल मंत्री लालू जी आज उपस्थित नहीं हैं। उन्हें अपनी ... * पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना कबूल है लेकिन जब इस सदन में महिला आरक्षण बिल आएगा तो उसका विरोध करेंगे, उसकी प्रतियां फाड़ेंगे। लालू जी भी आज उपस्थित नहीं हैं। …(व्यवधान)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Madam Chairman, this is not correct. She has every right to represent the people. … (*Interruptions*) It is the uneducated people who are voting more. … (*Interruptions*)

सभापति महोदयाः यह शब्द निकाल दीजिए।

*(Interruptions) ...**

सभापति महोदयाः किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए[R42]।

16.00 hrs

MADAM CHAIRMAN : I know.

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : महोदया, वे महिला हैं, इस पर तो आपको आपत्ति नहीं है। आप महिला आरक्षण बिल का फेवर कर रही हैं तो एक महिला की भर्त्सना किस तरह से कर सकती हैं?…(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : मैं महिला की बात नहीं कह रही, लालू जी की कह रही हूं…(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : आप नहीं कह सकती।…(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : आप ध्यान से सुनिए…(व्यवधान)

Not Recorded.

SHRIMATI SURYAKANTA PATIL : This is the double-standard face of your party. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : Okay. You speak when your turn will come. वह शब्द निकाल दिया है। I have told them. आप समझदार हैं, मैंने बता दिया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, इस शब्द पर आपत्ति है तो निकाल दीजिए। मैं खुद कह रही हूं कि निकाल दीजिए।...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : महोदया, आप इस सदन में सीनियर हैं और आप इस चेयर पर बैठी हैं। आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, जब वह इस सदन की सदस्या नहीं हैं तो फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, इस शब्द को निकाल दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : करुणा जी, मैंने शब्द निकाल दिया है। आप आगे बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : लालू जी की पत्नी, यह तो कह सकती हूं...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : हां, कह सकती हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला :महोदया, यह कह सकती हूं,...(व्यवधान) इसे रिकॉर्ड में आने दीजिए...(व्यवधान)

सभापति महोदया : यह कर दिया है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपके कहने से पहले तुरंत बोला है कि यह शब्द निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है, मैं भी चिंता करती हूं। मैं भी सालों से यहां पर हूं। ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : आप इतना अच्छा बोल रही हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : आप मुझे बीजेपी की मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट देख रहे हैं। आप मुझे महिला की भावना से सुनें और सोचें। मैं बीजेपी की महिला मैम्बर ऑफ पार्लियामेयंट हूं लेकिन पहले महिला हूं बाद में बीजेपी की मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं।...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : हमारी यही मंशा है कि यह वांछित विाय किसी जाति का, समाज का और किसी पार्टी का नहीं है, यह हमारा यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इस पर उस स्टैंडर्ड से बोलिए। यही हम चाहते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब कोई कमेंट नहीं होगा। I am sorry. वह शब्द निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, मेरी भाा, मेरी बोली, अगर कुछ गलत लगती है तो बताइए।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, नकारात्मक सोच के साथ नहीं।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Thank you, young man. वही करेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, मेरी सोच बहुत दूर की है। मैं भी आपके ग्वालियर की ही बेटी हूं। मेरे कहने का भाव यह था कि...(व्यवधान)

सभापति महोदया : सब समझ गए हैं, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्लाः महोदया, जब वर्ा 1996 से लेकर वर्ा 2003 तक महिला आरक्षण बिल को बार-बार प्रस्तुत किया गया, जब आरजेडी और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने क्यों उस बिल को इंट्रोड्यूज़ नहीं होने दिया? क्यों प्रतियां फाड़ दीं? इससे साफ जाहिर होता है कि कोई पुरुा नहीं चाहता कि...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदया, इनका भााण...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपका अभी समय है, आप तब बोल लेना। ऐसे हर कोई टोका-टाकी करेगा तो कैसे चलेगा। आपको अभी बोलना है। No, No. She is not yielding to you. आपको समय नहीं दे रही हैं तो आप ऐसा बीच में नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, मैं तथ्यों के आधार पर बोल रही हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : वह आपको समय नहीं दे रही हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। No. I am sorry.

... (*Interruptions*)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, टीवी पर देखा है, कानों से सुना है और आंखों से देखा है, वही बोल रही हूं।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

सभापति महोदया : बार-बार टोकाटाकी नहीं चलेगी।

...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : It is all right.

... (*Interruptions*)

श्रीमती करुणा शुक्ला : आप बोलिए न...(व्यवधान) महिला आरक्षण बिल लाइए...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। पन्द्रह मिनट से ज्यादा हो गए हैं। आप मुझे संबोधित करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : महोदया, महिला आरक्षण बिल को लाने के लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। जब नीयत साफ होगी, इच्छाशक्ति होगी, महिलाओं को दल में बांटकर नहीं देखा जाएगा। इस देश में आजादी के लिए महिलाओं ने जो संर्घा किया था। श्रीमती कृ-णा जी, झांसी की रानी नाम ले रही थीं तो बाकी भाइयों ने कहा कि और बहनों का भी नाम गिनाइए। अवन्तिबाई लोदी ने संर्घा किया था, दुर्गाबाई ने भी संर्घा किया था। अब देखिए, मैं फिर मानसिकता का उदाहरण दे रही हूं, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए घोड़े पर बैठकर एक हाथ से तलवार लेकर निकली थीं, मैं कहूंगी, तब पुरुों ने ही उसकी पीठ पर बच्चे को इसलिए बांध दिया था कि तुझे बार-बार अपना वात्सल्य याद आए और युद्ध के मैदान में कहीं तुम्हारी ममता तुम्हें रोकने के लिए बाध्य न करे[p43]। यह क्यों किया गया? क्या रजिया सुलताना राज-काज नहीं चलाती थी? उसे असफल करने की कोशिश की गई। मैं महिलाओं का उदाहरण इसलिये दे रही हूं कि...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : इतिहास का निर्माण किया जाता है, उसे बदला नहीं जाता है।...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : मैं इतिहास नहीं लिख रही हूं। मैं इतनी महान् नहीं कि इतिहास लिख सकूं।...(व्यवधान)

---

* Not Recorded

MADAM CHAIRMAN : I am sorry. Karuna ji, you should not say something like that.

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : चेयर की तरफ से मैंने स्वयं बता दिया है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति यह बात समझ रहा है। मैंने उस बात को तुरंत बता दिया है।

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, 1996 से लेकर 2003 तक महिला आरक्षण विधेयक मजाक बना हुआ है। जब चुनाव होता है तो घोाणा पत्र में कहा जाता है कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम महिला आरक्षण विधेयक लेकर आयेंगे लेकिन आज इस सरकार को आये हुये 14 महीने हो गये लेकिन क्या हो रहा है? सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। एक तरफ डीलिमिटेशन का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ गृह मंत्री जी द्वारा हम लोगों को पत्र भेज दिया जाता हैं कि हम 543 सीटों के बजाय 800 सीटें करना चाहते हैं। यह विरोधाभास कैसे? अगर डीलिमिटेशन का काम चल रहा है, तो सीटें बढ़ नहीं सकती, उसे रोकिये। यदि आप ईमानदारी से महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं तो वह किसी भी स्वरूप में लाइये, हम बहनें उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। इस 14वीं लोक सभा में जिस स्वरूप में बिल लायेगा, महिलायें उसे स्वीकार करने के लिये तैयार होंगी। कभी यह बात उठती है कि एक सीट पुरुा लड़ेगा और एक सीट महिला लड़ेगी, यह डबल तरीके से कैसे होगा? फिर आगे कई कठिनाइयां खड़ी होंगी। कुल मिलाकर ढाक के वही तीन पात। ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत महिला आरक्षण विधेयक को लाने की नहीं है और न उसके पास इच्छा शक्ति है। इसका कारण यह है कि जहां कहीं भी आप किसी दल के पुरुा से बात करेंगें तो यही कहा जायेगा कि वह जीत नहीं सकती, वह हारने वाली उम्मीदवार है। पुरुा के जीतने का पैमाना शायद तय होगा कि जिस सीट से पुरुा खड़ा होगा, वह जीत जायेगा। इसलिये चाहे लोक सभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रही हूं। यदि सरकार महिला आरक्षण बिल लाना चाहती है तो इसे उपहास का पात्र मत बनाइये। यह हमारा अधिकार है। जब हम 50 प्रतिशत के भागीदार हैं तो सिर्फ 33 प्रतिशत मांग रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद कार्य क्षेत्र में जागरुकता दिखाई दे रही है। उस समय भी

यही कहा जाता था कि बहनों के लिये काम उनके पति करेंगे, इनके पिता काम करेंगे, वह काम नहीं कर पायेंगी। इसलिये निश्चित रूप से यदि नीयत अच्छी हो, उसमें कोई संदेह नहीं हो, खोट नहीं हो तो जिस भी स्वरूप में महिला आरक्षण विधेयक आयेगा, हम स्वीकार करेंगी।

सभापति जी, माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन द्वारा जो संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Madam Chairman, I support the Resolution moved by Shri Chandrappan. This is a controversial issue pending long before Parliament. The issue is so controversial that we could not reach or rather arrive at a consensus with regard to the passing of the Bill.

There are many reasons adduced or even alleged for not taking the Bill into consideration. Before I go into the details, I would like to say that we must bear in mind one thing. The reservation is not a law of perpetuity. Whenever there is inequality, whenever opportunity is denied to a section of the community, the Constitution provides a provision for reservation. So, applying that principle, we have given this facility. This reservation is applicable to the Backward Communities, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. The fundamental and cardinal principle of our Constitution is that there must be equal opportunity for every citizen. Due to various reasons, social or economic or otherwise, this equal opportunity is denied to certain sections of the society[R44].

The Founding Fathers of our Constitution deemed it necessary that there must be some kind of reservation for the lower strata of the society. So, that principle is there. Here also, the same principle is applicable in the case of women. We speak for empowerment of women. While speaking about the empowerment of women we do not accept the principle of reservation in their case equally. We all admit that more than half of the population is women. So, their representation is highly essential in the power sharing process. We had an experience in the last 10 to 15 years – when this Constitution was amended – for giving one-third representation in the local bodies and even a local list was formed with the Constitution. When that amendment was passed, there were apprehensions that whether women would be able to discharge their functions as members of the local bodies. That was the apprehension first expressed at that time. For the time being, we did not take into consideration giving representation in the legislative bodies. We were giving representation to women in the local bodies. We have now the experience. As Zila Panchayat Presidents they are functioning properly in many of our districts and we have very good administration. In my State, so far as this Panchayat administration is concerned, I have a better experience, a very vast experience for the last more than half a century. I was elected as the President of a Panchayat as early as in 1953. It became a Municipality subsequently. So, about the Panchayat administration I had my own personal experience. I had been the President of a Panchayat for more than ten years. I have been a legislator for more than 25 years. Now, I am in the Parliament for the third time. So, considering my vast experience, for the last more than half a century, I can definitely say that women are now capable of being members of the Legislature. The vast experience which I had in the recent past is that women were quite able, sufficient in administering the local bodies, particularly, the Zila Panchayats. The Presidentship of Zila Panchayats was also reserved. It is because due to various reasons, they may not be able to win the Presidentship of a Panchayat or a Zila Panchayat or a Block Panchayat or a Gram Panchayat. So, even there also we put in a reservation that one-third Presidents of the Zila Panchayats shall be women. That was provided in the Act. When I was in the Legislature, that Act was passed and with a

specific provision for women reservation for Zila Panchayats. Now, one-third of the Zila Panchayats are governed by women and that is very good. We have our experience. Then, Presidentship of the one-third of the Block Panchayats was also reserved for women. These also were run very well. Then, one-third Presidentship of the Gram Panchayats was also reserved for women and that also is very good. So, in the recent past, our experience is good as far as the representation of women in the elected bodies is concerned. Now, we have come to such a stage that without providing reservation for women in law making process, in the governing process, in controlling the Executive, both at the State level and at the Central level, it is futile to say that women have been given reservation. In our day to day experience, harassment of the women is the order of the day. Women cannot even travel or even walk through the road. It was possible in the past. Now, even one per cent women are not in a position to pass through a public road at night[bts45].

Kidnapping, raping, all these heinous offences are being committed against women. We have been making a special legislation as to what are these grave offences, and that also by a process of special statute constituting special courts for this purpose. That is the situation in the country. So, we will have to think over it. Should we not give them power? They must have power to control the administration. That is possible only if they are given due representation in the Legislature as well as in the Parliament.

Now, I will submit that as to how this could be achieved. Unfortunately, there are some tendencies or some thinking among politicians that the women's representation should not be at their own risk. The male representation is the order of the day. Some people take the constituencies as their own hereditary property. They think that the constituency must be represented by them. Afterwards, it must be represented by their own sons and not by their daughters. This is the thinking among some people. These people have made such and such a situation in this country that they alone could contest the election and win over. So, there cannot be any perpetuity or any kind of reservation for males in a particular constituency.

Now, when this matter was discussed, three proposals have come out. The first one is that there are 540 seats in the Parliament.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : So, 180 seats will have to be reserved for women. There is a proposal that 720 seats will be made; 540 will continue as such for males and 180 seats reserved for women. In certain constituencies, there will be two MPs – one a male MP and another a female MP. That is a proposal now advanced in certain quarters which is ridiculous. Moreover, the exchequer will be put to some hardship. The taxpayers will have to bear or meet the expenses of 700 MPs in the country by giving gender representation in the Parliament. So, we will have, in a particular constituency, one male MP and a female MP which is very, very ridiculous. We cannot accept this proposal but it is still there for consideration.

Another proposal advanced at this stage is this. Actually, when some political parties – registered political parties – submit a list of candidates, it is the look-out of the Election Commission to see whether they propose one-third of their declared seats to women. That also is not a practical solution. No political party will declare their list of candidates because one-third reservation of seats for women is an impossibility. But still that

is being considered by the Election Commission also. The Election Commission also is now considering about this double representation of reserved 180 seats. Parliamentary constituencies having a male member and a female member is another matter that is to be considered.

Lastly, our leaders have thought over of bringing in some consensus in the House, especially in the Parliament. Consensus is not an easy thing. We have tried to have consensus many a time but failed. Consensus will never come out in such a process. So, I will request all the major political parties to reconsider this stand. We should take a bold decision. The Bill should go through its own course. It should be moved in the House; it must be properly discussed and a democratic way for failing or passing a Bill will have to be adhered to. It cannot be by consensus. No consensus can be arrived at in the House about women's representation because consensus can never be had because only a very few people may oppose it.... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : So, I would request the hon. Members or the political parties concerned to come forward bravely, courageously with a Bill moving it in the House. We will have a lengthy discussion, and we can make a proper and democratic decision at the conclusion of the discussion[c46].

Sir, the UPA leaders are aware of the fact that the Opposition is also in favour of giving representation to women in the House. When all of us discuss this Bill together, the true colours of each and every party will be out and we will know where the BJP stands and where other political parties stand on this matter. So, the UPA Government should have the political courage to come forward with the Bill and get it passed in the House so that we can all be real champions of women's reservation and their empowerment. Otherwise, all our claims will only be lip service.

Therefore, I, once again, request the Government that the Bill should again be brought before this House so that we can discuss it here and pass it in a democratic way.

MADAM CHAIRMAN : I would request the Members to please make brief speeches because the list of speakers is very long and we have to accommodate all of them.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदया, श्री सी.के. चन्द्रप्पन साहब का यह निजी विधेयक था जिसमें राज्य विधान सभा और संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। हम इस बिल पर उस समय चर्चा कर रहे हैं जब आज सुबह प्रधान मंत्री जी ने विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाया था ताकि इस पर सहमति बने, इस पर चर्चा हो और मिल बैठकर कोई फैसला हो जाए।

सभापति महोदया, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बी.जे.पी. पार्टियों में प्रतिस्पर्धा है कि महिलाओं के स वाल पर कौन ज्यादा बोले, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि फलां पार्टी महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन दोनों पार्टियों में अन्तर्विरोध है और उसे ये स्वयं जानती हैं, परन्तु उस सच्चाई को इन पार्टियों के लोग न तो सदन में स्वीकार करते हैं और न सदन के बाहर स्वीकार करते हैं।

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : समाजवादी पार्टी का इस मामले में क्या स्टेंड है, वह बताएं ? ...(व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : आप में और हम में इतना अन्तर है कि हम बोलते हैं और आप कागज फाड़ते हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : थावरचन्द गेहलोत जी, आप हमसे ज्यादा शिट हैं, आपको मुबारक हो। महोदया, श्री थावरचन्द गेहलोत की हालत थोड़ी सी खराब है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस और बी.जे.पी., दोनों पार्टियों में एक प्रतिस्पर्धा है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी महिलाओं के आरक्षण के हक में है। हम उसके विरोधी नहीं हैं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उस पार्टी से हूं जिसके प्रमुख डॉ. राम मनोहर लोहिया थे और जब वे पिछड़ों के साथ इंसाफ करने की बात करते थे, तो पिछड़ों के साथ महिलाओं को भी जोड़ने की बात करते थे।

यह सही है कि समाज में महिलाओं की उपेक्षा हुई है और हम सब लोगों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि उनके साथ कैसे इंसाफ हो। इससे बड़ी एक समस्या और भी है और वह है कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनें, उनमें आत्मसम्मान कैसे आए और महिलाओं की जो औसतन साक्षरता दर है, वह कैसे बढ़े। मैं समझता हूं कि इन सवालों पर भी जोर देने की आवश्यकता है। मैं गुण-दोा के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं और मैं पुरुा और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उन्हें समर्थ बनना पड़ेगा। महिलाएं असेम्बली में जाएं, संसद में जाएं, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। महिलाओं का ग्राम पंचायतों में आरक्षण हुआ, अनेक महिलाएं पंचायतों की प्रधान बनीं, लेकिन जो पढ़ी-लिखी थीं, जो अपने अधिकारों को जानती थीं, वे ही सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं। जहां शिक्षित महिलाएं नहीं हैं, जहां वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं, वहां निश्चित रूप से उन्हें दिक्कत आती है। जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि महिलाओं में साहस बढ़े, वे शिक्षित होने का प्रयास करें।

सभापति महोदया, यह बात सही है कि 1996 से 2000 तक इस विधेयक को कई बार सदन में लाने का प्रयास किया गया। 14 दिसम्बर, 1998 को लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गयÉÉ[rpm47]। जो सबसे बड़े खतरे हैं, जिन खतरों का जिक्र किया गया कि आरक्षण के नाम पर अभिजात्य वर्ग की महिलाएं और कुछ विशेा जाति की महिलाएं इस संसद में आ जायें, विधान सभाओं में पहुंच जायें और उन्हीं के बारे में हम यह कहना शुरू कर दें कि महिलाओं का आरक्षण हो गया है, तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ इन्साफ नहीं है। महिलाओं के आरक्षण से पहले आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो दलित महिलाएं हैं, उनका क्या होगा, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनका क्या होगा और पवन कुमार बंसल जी, बताइये कि जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे? मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जैसा आपने जिक्र किया कि पतियों का साया जिन पर रहा, वे महिलाएं आगे बढ़ीं, जिन पर पिता का साया रहा, वे महिलाएं आगे बढ़ीं, खतरे ये भी हैं कि कहीं मित्र महिलाओं को भी आरक्षण के नाम पर आगे बढ़ाने का अवसर न मिल जाये, यह भी एक खतरा है। सही मायने में जो दबी-पिसी महिलाएं हैं, जिनको आवाज देने की आवश्यकता है, जिनके अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन की आवश्यकता है, उनके लिए जब तक आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं होगा।

जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि न तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत इस सदन में रहा और न कांग्रेस पार्टी का बहुमत इस सदन में है। यह मिली-जुली सरकारों का दौर चल रहा है। यू.पी.ए. की जो सरकार है, इसके जो घटक दल हैं, उन घटक दलों की एक राय नहीं है। मैं बहुत स्पट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी है, राट्रीय जनता दल है और जो दूसरे दल हैं, जब आप लोग इधर बैठे थे तो आपकी जो राय है, वह शि वसेना की राय नहीं है, वह जे.डी.यू. की राय नहीं है और कुल मिलाकर जो हर पार्टी के मित्र दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन दलों में भी एक राय इस महिला आरक्षण के सवाल पर कभी नहीं रही। इसीलिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई।

पिछली लोक सभा में मुझे ख्याल है कि 13वीं लोक सभा में जब महिला आरक्षण पर चर्चा हुई और जब बिल पेश करने की बात आई तो उस समय लोक सभा के अध्यक्ष जोशी जी थे। जोशी जी ने हस्तक्षेप किया और उस समय एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई। जो बिल का प्रारूप बनाया जा रहा था, उसमें यह व्यवस्था थी कि एक बार जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जायेगी, वह अगली बार महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं होगी। हम लोक सभा के सदस्य हैं। हमारा जनता के साथ जज्बाती रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है, लोगों के बीच जाना हमारी मजबूरी इसलिए होती है कि अगर उनसे हमारा रिश्ता नहीं रहेगा तो अगली बार हम लोक सभा में चुनकर नहीं आयेंगे, उनके बीच काम नहीं करेंगे तो उनके बीच जाना मुश्किल हो जायेगा, हमारे मतदाता हमें वोट नहीं देंगे और जब ऐसा हो जायेगा कि एक बार जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, वह दोबारा नहीं होगा तो कौन महिला या पुरुा उस लोक सभा या विधानसभा क्षेत्र में जाने का काम करेगा। उसमें यह दोा था तो एक राय बनाने की कोशिश की गई और लोक सभा अध्यक्ष जोशी जी से कह दिया गया था कि सभी दलों को मिलाकर एक राय आप बना लें, एक सर्वसम्मत फैसला, एक सर्वसम्मत फार्मूला तैयार करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से इस सदन में इस गम्भीर सवाल पर बंटवारा न हो। उस सवाल पर एक राय नहीं बन पाई, यह दुर्भाग्य है। लेकिन मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे सदन में कोई दल ऐसा नहीं है, जो महिलाओं के साथ इन्साफ न करना चाहता हो, उनके खिलाफ हो, लेकिन सवाल है और करुणा जी मुझे माफ करें, हमारे लोग या आपके लोग लोक सभा में क्या बोलते हैं, विधान सभा में क्या बोलते हैं और लोक सभा की गैलरी में क्या बोलते हैं, उन बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। यहां की भााा और वहां की भााा में बड़ा फर्क होता है, तो आज यही सबसे बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर इस सदन को बांटने की आवश्यकता नहीं है।

समाजवादी पार्टी की यह राय है कि सभी दलों से अलग-अलग बात करके एक ही रास्ता है कि निश्चित प्रतिशत तय हो जाये कि इतना प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण जरूरी है और चुनाव आयोग को यह अधिकार मिल जाये कि जो राजनैतिक पार्टी इतने प्रतिशत महिलाओं को टिकट नहीं देग तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस सवाल पर यही राय है, यही स्टेंड है। फिर मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह धारणा फैलाना कि समाजवादी पार्टी तो महिलाओं के आरक्षक के हक में नहीं है, मैं समझता हूं कि यह बेबुनियाद और मिथ्या

आरोप है। महिलाओं को इन्साफ मिले, महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन आम सहमति इस पर बने और चुनाव आयोग को यह अधिकार हो कि जो राजनैतिक पार्टी सहमति बनने के बाद महिलाओं को टिकट देने में उतने प्रतिशत आरक्षण नहीं देगी, उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

बस मुझे यही निवेदन करना था।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : मैं आज श्री चन्द्रप्पन जी द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश के संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत महिलाओं के आरक्षण पर ही नहीं समाज के हर क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की व्यवस्था दी थी। व्यवस्था देते समय उन्होंने जो शंका जाहिर की थी, वह आज आजादी के 57-58 साल के बाद पूरी तरह से सही नजर आती है। संविधान की प्रस्तावना थी कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी-कपड़ा-मकान और शिक्षा की पूर्ति हो। जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, पेट में भोजन नहीं है ऐसे लोगों के लिए आजादी के इतने सालों के बाद भी, इस सदन के लोग नेक-नीयती से उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम नहीं कर पाए हैं। उनके पास हमारे पास आने तक का पैसा नहीं है, अपनी व्यथा कहने के लिए शब्द नहीं हैं। उनकी बेहतरी के लिए इस सदन में बैठकर चर्चा होगी, उनकी बेहतरी के लिए कुछ इंतज़ामात होंगे, लेकिन आजादी के 57-58 साल के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ पाया है। आज महिला आरक्षण विधेयक पर बात हो रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न

हो, अगर उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। यह बात महिला विधेयक पर भी लागू होती है। इसका राजनीतिक लाभ तो सभी लोग लेना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में उनके आर्थिक-सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के प्रति कोई गम्भीर नहीं है। चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने वाला भारत लाना चाहती है। मैं तो आज कहना चाहता हूं कि महिलाओं के बारे में बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों के संरक्षण की बात आज तक नहीं हो पायी है। उन गरीब, कमजोर महिलाओं, लोगों के लिए जिनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, उसको 57-58 साल की आजादी के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। सदन में बैठे वे लोग, जो उस आरक्षण के तहत चुनकर आते हैं, उस आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करवाने में सक्रिय नहीं हैं। वे इसलिए बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें खतरा है कि आरक्षण की बात करने से उनका टिकट कट जाएगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस सदन में उन लोगों को आरक्षण देते समय डबल वोट की व्यवस्था की थी। डबल वोट की व्यवस्था के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, जब आरक्षित सीटों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अपने वोटों से चुनकर आएंगे तो वे किसी के इशारे के, किसी की मदद के मोहताज़ नहीं रcåMÉä[MSOffice48]।

[R49]

वे अपने समाज के हित में सदन में बखूबी अपनी बात उठाने में कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे। वह अधिकार छिन जाने के कारण उसका इम्प्लीमैंटेशन 57 साल में भी नहीं हो पाया है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि महिला विधेयक पास होने के साथ-साथ श्री रामजीलाल सुमन ने जो आम राय बताई, वह आम राय होनी ही चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं के हितों के बारे में बड़े-बड़े दावे भरे जा रहे हैं, तो बैठकर तय हो जाना चाहिए कि कितना आरक्षण लागू होना चाहिए। मेरी मांग है कि आरक्षण लाने से पहले उसमें दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं के बारे में भी इस सदन को गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि अगर हम वास्तव में महिलाओं को हक देना चाहते हैं, उनको स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी बसर करने के लिए पूरी तरह अधिकार देना चाहते हैं, तो सदन में जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तरह बहस कराने के बाद, आम राय बनाने के बाद कि कितना आरक्षण होना चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : 16 साल हो गए हैं।...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें आम सहमति बने। महिला सशक्तीकरण के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उसका बलपूर्वक समर्थन करता हूं।

SHRIMATI K. RANI (RASIPURAM): Thank you, Madam Chairperson, for having given me the opportunity to say a few words on the Resolution moved by the hon. Member from Trichur, Shri Chandrappan. The Resolution urges the Government to bring forward a suitable legislation to reserve at least one-third of the seats for women in all the State Legislatures and in Parliament. I stand here now to fully support the Resolution.

16.38 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

Mr. Chairman, Sir, since we do not have much time, let us very quickly have a cursory look over the history of empowerment, and then let us look at some facts as it exists today, before I again insist on such a Resolution which the Government should bring forward.

Sir, women are half the world's electorate but are a deprived lot. It is not a myth, but it is a reality. The right of women in politics is part and parcel of the human rights. So, National Parliaments are the most legitimate and appropriate institutions to bring about partnership between men and women in politics. But there is a wide gap between the goals enunciated in the Constitution, legislation, policies and programmes on the one hand, and the ground reality of the status of women in India on the other hand. As a consequence of this, the access of women to education, health and productive resources is inadequate, and so, they are marginalised and socially excluded.

With this background, in 1996 the Government drafted a National Policy for the Empowerment of Women. In recent years, there has been considerable work on the question of empowerment and also on developing a clear conceptual framework for this vague notion. We all know that empowerment aims at increasing women's access to social, economic and intellectual resources and also in taking control over them. So, it is in this context that reservation policy should be viewed and not as a panacea nor as a pre-requisite for everything. Thus, it is clear that reservation for women is an important and a necessary enabling condition for empowerment.

With this end in view, we have had many Committees making recommendations for reservation for women and we also have had many Conferences and Seminars, nationally and internationally, agreeing to this line of thinking[lh50].

Now, let us look at some facts about representation of women in our Parliament. In the First Lok Sabha, we had 22 women Members, which increased to 27, in the Second. It is very unfortunate to note that it increased only up to 40 women Members in the Eleventh Lok Sabha, though in the Eighth Lok Sabha, we had 44 women Members, which is a mere 8.1 per cent compared to the total number of seats in the House. In the Fourteenth Lok Sabha, we have 45 Members, which is 8.3 per cent. In the Upper House also, this percentage varies between six per cent and 12 per cent. So, we find that the representation of women in Parliament is far from satisfactory, especially when we compare it with other countries of the world where it is highly satisfactory. Let me not go into those figures because time is short. Otherwise, of course, everyone knew about those facts and figures because the statistics are available.

Since the time of 73rd Constitutional Amendment, there has been an extensive debate on the implications of this measure for balance of power in rural politics. This issue has been further sharpened by a larger debate on Reservation Policy, resulting in several differences and opposing viewpoints. But the optimists argue that by ensuring women's direct access to formal political power, women's social position will automatically change. They also further believe that women will be less corrupt and more responsible in executing their duties than men. I say this without any ill-feeling against the male Members here.

After the 73rd and 74th Constitutional Amendments, the Constitution 81st (Amendment) Bill was introduced in Lok Sabha in 1996 to provide reservation for women in Parliament and State Assemblies. That Bill was referred to a Joint Select Committee since there was no consensus on passing that Bill in that form. That Committee submitted its recommendations to the House and again, with those recommendations, the Constitution 84th (Amendment) Bill was introduced in 1998 for the same purpose. Since those Bills lapsed on

the dissolution of concerned Lok Sabhas, again in 1999, the Constitution 85th (Amendment) Bill was introduced, which also could not see the light of the day.

So, what we find so far is that all the attempts at reserving one-third of seats for women in Parliament and in State Legislatures were scuttled very successfully. On the other hand, if you see the experience of the last 15 years or so, we find that women are more educated and more capable not just inside their homes but outside too.

Now, we have the UPA Government at the Centre, which came to power with a National Common Minimum Programme. I am confident that it will overcome all the obstacles with their vast experience and very soon, it will bring forward such a legislation to reserve one-third of seats for women.

Our Home Minister gave an assurance to the delegation of Mahila Congress that called on him some months ago, that Women's Reservation Bill would be tabled in Parliament in the Monsoon Session. I am sure he would make it happen.

Another view that is gaining ground and momentum is—this is what we read in newspapers—that the Government is proposing to add 33 per cent seats in Parliament and State Legislatures instead of creating a quota within the existing number of seats. It could be done in whichever fashion that is acceptable to all, but it has to be done.

Before concluding, I feel that reservation for women is a social necessity and a national obligation. Political empowerment is needed for economic and social justice. So, a suitable legislation should be introduced and passed in this House.

With these words, I fully support the Resolution brought forward by my hon. friend and I hope and trust that the Government would introduce and pass such a legislation in this Session itself.

MR. CHAIRMAN : It is good but do not make it a practice. Since you are a woman and you are speaking on the Resolution seeking women reservation, I did not object. But do not repeat it by reading like this.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, आज यहां पर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा केवल आज नहीं हो रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि सालों साल से यह चर्चा हो रही है। पहले मन में यह बात आती है कि यह सालों साल की चर्चा जब कोई महिला आरक्षण की या महिला से संबंधित बात आती है, तभी यह चर्चा क्यों होती है ? चूंकि मैं सॉइक्लॉजी की विद्यार्थी रही हूं। इसलिए इस बात पर जब मैंने विचार करना शुरू किया और चूंकि मैं परिवार से विचार रखती हूं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे घर में होता है और अभी किसी ने यहां कहा कि सास ही ब्बू को तकलीफ देती cè[R51]।

अब इस तरह के कमेन्ट करना हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई सास या ननद ही बहू को तकलीफ देती है तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या उस घर में ससुर नहीं होता है? मैं इस बात की चर्चा ही नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस मानसिकता से हम आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। मेरे मन में यह विचार आता है कि कभी-कभी इस प्रकार की चर्चा जोर से क्यों

होती है? हम परिवार में देखते हैं, परिवार स्त्री केंद्रित होता है, भले ही हम इसे स्वीकार न करें। जैसे अगर घर की बहू नौकरी करने के लिए या किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने वाली है तो परिवार का हर सदस्य अपने-अपने तरीके से उस बात पर सोचता है। सास शायद यह सोचती होगी कि इतने सालों तक मैंने अपने बच्चे का पालन-पोाण किया, घर में काम करती है, खाना बनाती रही, अब अगर बहू भी घर से बाहर जाएगी तो फिर मैं वही पोते पोती को संभालूं और घर के काम करती रहूं। इसलिए बहू को बाहर नहीं जाना है। ससुर को भी यह लगेगा कि अभी तक एक प्रकार से घर में मेरा हुक्म चलता था। I was the person; I was the deciding factor in the house. अब अगर बहू घर से बाहर जाएगी, कुछ अपनी बात कहेगी, हो सकता है कि चर्चा में सम्मिलित हो जाए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सम्मिलित हो जाए क्योंकि स्वतंत्र रूप से विचार करेगी तो हो सकता है कि मैं परिवार में अकेला डिसाइडिंग फैक्टर न रहूं। उसके पति को यह लगेगा कि अब तक परिवार में मेरी भूमिका दाता की रही है, जो कमाई करके देता हूँ, उसी से घर चलता है तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरा अकेला हाथ न रहे और कोई दूसरा ऐसा हाथ भी बन जाए। देवर सोचता है कि अगर यह नौकरी करने जाएगी तो मेरी नौकरी का क्या होगा, एक सीट कम हो जाएगी। जैसा कि यहां हो रहा है, हो सकता है कि मेरी एक सीट चली जाए। हर कोई अपने-अपने तरीके से सोचता है।

वास्तव में स्त्री में क्षमता नहीं है, ऐसी बात नहीं है लेकिन सालों साल से ऐसी किसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ या फिर किसी ने इस विाय पर सोचा ही नहीं। हां, एक व्यक्ति ने इस विाय पर जरूर सोचा था। यदि मैं उसका नाम लूं तो शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जो बात ठीक है, उसे हमें ठीक तरह से ही लेना चाहिए। इस बात को जिस व्यक्ति ने ध्यान में रखा था वह थे महात्मा गांधी। मुझे यह याद है, एक शाम जब महात्मा जी बैठे प्रवचन दे रहे थे, महिलाओं की भी बात हो रही थी और वे हमेशा कहते थे कि मैं हिंदुस्तान में राम राज्य के सपने देखता हूँ, राम राज्य लाना चाहता हूँ। बातों ही बातों में एक स्त्री ने प्रश्न पूछा था कि मुझे एक बात बताइए कि हम स्त्रियां किसे अपने सामने आदर्श के रूप में रखें? महात्मा जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की हर महिला को अपने सामने सीता का आदर्श रखना चाहिए। अगर ऐसा हो तो देश में राम राज्य आ जाएगा। इसे सुनकर उस स्त्री के मुंह से यह शब्द निकला कि महात्मा जी, जब स्त्री अपने सामने सीता का आदर्श रखे तो इसका मतलब है कि पुरूाों को अपने सामने राम का आदर्श रखना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर इस देश की स्त्री सीता बन जाएगी तो पुरूा को राम बनना ही पड़ेगा। यह मेरे वाक्य नहीं हैं, यह महात्मा जी के वाक्य हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, महिलाओं का आदर्श वह जंगल में जाने वाली सीता नहीं होनी चाहिए, उसे पार्लियामेंट में आने वाली सीता बनना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Do not interrupt Mr. Ramdas Athawale, She is not yielding.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : श्री रामदास जी, आपमें थोड़ा राम है, इसलिए आप बैठ जाइए।

इस स्त्री की क्षमता को महात्मा जी ने वास्तव में समझा था। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम को देखें, वैसे तो महिलाएं पुरातन काल से काम करती रही हैं।[cmc52]

लेकिन जिसे हम मॉब कहते हैं या सामान्य से समान्य घर की स्त्रियां भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगी, जब तक उनमें भी वह जागरूकता नहीं आएगी, तब तक देश को स्वतंत्रता नहीं मिल सकेगी। इस सोच के साथ उन्होंने यह क्रम रखा और कहा कि हर घर की महिला को समझना पड़ेगा, चाहे वह स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आंदोलन हो। इसलिए उन्होंने घर-घर में संदेश दिया, तब हमने भी देखा कि उस स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों की संख्या में स्त्रियां आगे आईं और हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता चला गया कि वही स्त्रियां वापस घरों में बैठ गईं। इसलिए हम जब महिलाओं की आरक्षण देने की बात करते हैं, तो यह केवल लोक सभा, राज्य सभा या विधान सभाओं में कुछ स्थान देने की बात नहीं है, इस देश की राजनीति में हिस्सा लेने की भी बात है। यह देश कैसे चले, इसमें भी हमारी हिस्सेदारी हो।

इस देश की कृाि नीति कैसी हो, यह यहां तय किया जाता है। लेकिन आज आप देखें कि 80 प्रतिशत महिलाएं कृाि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि पुरूा बहुत कम तादाद में खेत में जाते होंगे। इसलिए देश की कृाि नीति तैयार करते समय यदि महिलाएं मौजूद

न हों, तो कैसे आप एक सफल कृषि नीति बना सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि महिलाएं खेतों में हल चलाएं।

इसी तरह से श्रम नीति हम यहां तय करते हैं, तो सभी जानते हैं कि देश की 80 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली मजदूर हैं। हम जब यहां संसद में बैठते हैं, तो देश की नीति निर्धारण करते हैं। चाहे वह विदेश नीति हो या महिलाओं के अधिकार सम्बन्धी कानून बनाने की बात हो या राइट टू प्रापर्टी हो। किसी भी कानून को बनाते समय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि लिए निर्णयों का असर उस पर भी प्रभाव डालता है। उसके रहन-सहन पर, उसके व्यवहार पर कहीं न कहीं वह निर्णय प्रभावित करता है। उससे वह ही नहीं, उसका पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। यही सोच कर कि महिलाओं का सहभाग दिन-ब-दिन बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है, यह दृश्य सामने आया है और यह बात सामने आई है कि हम यूं ही नहीं आरक्षण की बात कर रही हैं।

मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि पुरूषों ने अपने आप मान लिया कि यह समाज अपना है। उन्होंने अपने आप मान लिया कि मैं कुछ देने वाला हूं, दाता हूं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों को मिलाकर ही जैसे घर-गृहस्थी चलती है, वैसे ही देश की गति चलेगी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो बातें यहां कही गईं, जो कमेंट्स यहां महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर किए गए, उस पर मैं अपने िवचार रख रही हूं कि हम क्यों इसके लिए यह भूमिका बांध रहे हैं। यह केवल किसी वर्ग को कुछ प्रतिशत स्थान देने की बात नहीं है, यह मानसिकता तो हमने अपने आप बना ली है कि मैं कुछ हूं, एक पुरूा ही सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं मानती कि महिला पुरूा से श्रेठ है। जब आरक्षण की बात आती है, तो उसमें शिक्षा की भी बात आती है कि अगर इन्हें आरक्षण दे दिया गया, तो फिर अधिकांशतः शिक्षित महिलाएं ही चुन कर आएंगी, अशिक्षित रह जाएंगी। अगर हम आंकड़े देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रतिशत है और राजस्थान में काफी कम है। लेकिन केरल की विधान सभा में आप देखें तो पाएंगे कि वहां महिलाओं का अनुपात दिन-प्रति दिन कम होता जा रहा है। पहले तीन से चार प्रतिशत के बीच था, जो अब एक प्रतिशत आ गया है। लेकिन राजस्थान में आप देखें तो वहां विधान सभा में महिलाओं की भागीदारी चार प्रतिशत से बढ़ कर पांच प्रतिशत हो गई है[R53]।

ऐसी बात नहीं है कि महिला शिक्षित हो गयी तभी कुछ हल निकल सकेगा। सभी जानते हैं कि "चिपको आंदोलन" चलाने के लिए उन अशिक्षित महिलाओं को किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ा था। उनकी अंदर की संवेदना ने उन्हें सिखाया और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ आंदोलन चलाया।

सभापति महोदय, समान अवसर की बात होती है तो केवल महिला सांसदों के दिल की बात ही नहीं होती है, पुरूा सांसदों के दिल की बात या डर की बात भी होती है। इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं है। जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो कहीं न कहीं संपूर्ण महिला समाज को बदलने की बात करते हैं।

आजादी के आंदोलन में हजारों महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलीं, लेकिन आज वे कहां हैं? अब तो मिसिंग वूमैन की बात होने लगी है लेकिन आज वह बात हम यहां नहीं करेंगे। अगर हम आजादी के बाद का पूरा इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण महिला वर्ग ही बदलता चला गया। चाहे महिला आईएएस हों, ट्रक ड्राइवर हों, रिक्शा चलाती हों, हवाई जहाज चलाती हों, ये सब उदाहरण के लिए ठीक हैं लेकिन क्या उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होता है, वह अवसर उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए जो लोग दलित या पिछड़ी महिलाओं की बात कहते हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से आरक्षण की बात कहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए, the reservation is already there.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : Yes, sir. I am concluding. हम जो कर रहे हैं यह संविधान में संशोधन है और संविधान में कहीं भी पिछड़ा करके अलग से आरक्षण नहीं है या अल्पसंख्यक करके आरक्षण नहीं है। अगर करना है तो पुरुाों के लिए भी करो, स्त्रियों के लिए भी करो। अगर महिला पिछड़ी या अशिक्षित भी हो, तो भी दूसरी महिला की बात उतनी ही संवेदना के साथ समझ सकती है।

अलग-अलग तरीकों की बात होती है। सालों से हमारे विचार चल रहे हैं। पहले बिल पर पूरी कमेटी बैठी, जिसकी अध्यक्षा गीता मुखर्जी थीं। सबने सोच-समझकर एक बिल तैयार किया, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। फिर हम सोचने लगे कि चुनाव आयोग पार्टियों के लिए कुछ तय करे कि इतने प्रतिशत आप महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करें। लेकिन उसके बाद भी बात आगे नहीं बढ़ी। फिर हो गया कि

डबल सीटें करो, फिर आ गया कि सीटें ही बढ़ा कर 900 कर दो और उसमें महिलाओं को आरक्षण दे दो। कभी-कभी इस बात पर दुःख होता है कि अपने ही साथियों को आरक्षण देने के लिए हम इतना क्यों सोचते हैं। अब तो स्थिति ऐसी आ गयी कि सभी पार्टियों की महिलाएं जो आरक्षण का समर्थन कर रही हैं, कहती हैं कि कुछ भी करो, लेकिन इस बात को मान्यता तो दो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आ जाएं, इसके लिए एक कदम तो बढ़ाओ - ऐसी स्थिति आना कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन कहीं न कहीं यह बात सिद्ध हो जानी चाहिए और आरक्षण मान लिया जाना चाहिए।

17.00[c54] hrs.

सभापति जी, जाते-जाते मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आखिर महिला आरक्षण क्यों[r55]? जो मेरे मन में हैं, सालों साल से हम वही उदाहरण देते आए हैं - "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी" यह बोलते हुए हमें बड़ा मजा आता है। मेरा तो इस संबंध में दूसरा कहना है। हम आरक्षण क्यों मांगते हैं? हम निर्णय लेने में महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा सहभाग क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम महिलाओं से यह कहना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब " सबला बनकर लिखो नई कहानी, मन में विश्वास, बनो स्वाभिमानी, राट्राभिमानी " , ऐसी महिला शक्ति को हम तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं ।

MR. CHAIRMAN : Now Shri A. Krishnaswamy will speak. Please be brief because women are very much interested to speak. So, let them speak.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): On behalf of DMK Party, I support this Private Member's Resolution. Our DMK party is one which pioneered this movement in Tamil Nadu. Our leader Shri Periyar, the founder of our party, struggled for the women's rights. He struggled for the re-marriage of the widow. There was one Poet, Bharatiyar, who was born in Pondicherry.

MR. CHAIRMAN: Now, the time allotted for discussion on this Resolution is over. If the House agrees, the time for discussion on this Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: All right. The time for discussion is extended up to 6 p.m.

SHRI A. KRISHNASWAMY : There is a Tamil saying which was said by Bharatiyar, who was a great poet. It is :

"Pattangal alvathum sattangal saivathum paarinil penngal nadaththa vandhom"

The great poet thought about the future and said this in the year before 1930 which means that 'in future, the women will become graduates and women will rule the country'. Now, it has happened. The leader of the Congress Party, Madam Indira Gandhi ruled this country. Now, our dynamic leader, Shrimati Sonia Gandhi is guiding this country.

Not only that, we see so many women members now-a-days fighting for the welfare of the society. I read in a newspaper that in the local body set up, local *panchayats*, only the women chairmen and members are very honest and they are struggling and working very hard for the society. … (*Interruptions*) A few may be corrupt ... * That is different. Some may be emotional like Kumari Mamata Banerjee as she had been yesterday. We have to ignore that.

MR. CHAIRMAN: Now, every Member will have five minutes to speak because there are a number of speakers while we have only 60 minutes.

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, right from 1967, our Party, DMK has ruled Tamil Nadu four times. First time, our founder leader Shri Perarignar Anna was the Chief Minister. Then, our beloved leader Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister.

Right from 1967, we made it mandatory to include a woman Minister. Not only that, in this 14th Lok Sabha, out of 15 Members our party has, three are women Members out of which one is Minister. When our party was ruling the State of Tamil Nadu in the year 1989, we made a legislation giving equal share in property to women. We made a law that men and women should get equal share in their ancestral property[reporter56].

We also made 33 per cent reservation for women in the employment of State Government.

In the year 1996 -- when we came to power again -- we brought the legislation of 33 per cent reservation for women to contest in the local body elections. In addition to this, we have also made a provision in our Party that right from the grassroot-level to the high command all the Deputy Secretaries should be women members. This was our Party stand on this issue.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Shri Ramji Lal Suman also mentioned here that if we bring this Bill, then the reservation aspect should be followed. Otherwise, the downtrodden, backward community, and the Scheduled Caste people would be neglected in it. I am saying this because our women are very backward compared to the forward caste women. I feel that the people of the forward caste community are, at least, 25 years ahead as they have been going for jobs. They have been going abroad also for doing their job. On the other hand, the backward and downtrodden people have just now started going for jobs.

In the earlier situation, the women representatives could not function without any support or help from the male members like their husband, etc. Therefore, they always used to be dominated. If there is reservation for SC, ST and backward class people, then it will be fruitful for them. This is our Party position on this issue. Otherwise, the dominated section of the community will take advantage, and the upper-class women will become representatives of the people. They will come into the State Assemblies and the Parliament as representatives, and this measure would not be useful for the downtrodden people. Therefore, there should be a reservation policy, and I welcome it on behalf of my Party.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir. At the outset, I would like to say that my Party supports women reservation in the Legislatures and in the Parliament. The Resolution, which has been moved by Shri C. K. Chandrappan clearly reflects this mood, namely, that we should have adequate representation in both the Parliament, and also in different Legislatures of this country. Therefore, my Party supports it.

This reminds me about the fact that it was Shri Biju Patnaik during his second Chief Ministership tenure in the early 1990s -- before the 73rd and 74th amendments were done in this Parliament -- that he introduced 33 per cent or 1/3rd reservation for women in the Panchayati Raj institutions and urban bodies in Orissa.

Subsequently, it was Selvi J. Jayalalitha who introduced specific reservation for women in Tamil Nadu. These are the first two States that introduced reservation for women. Thereafter, the State of Kerala also introduced reservation for women. Subsequently, the 73rd and 74th amendments came into force, and there has been reservation for women in the Panchayati Raj institutions and also in urban bodies……(*Interruptions*)

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, in 1996 when we came to power we brought reservation for women in the State of Tamil Nadu, and not Selvi J. Jayalalitha. The DMK Party -- when it came to power -- and during the tenure of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi as the Chief Minister of Tamil Nadu it was introduced, and not by Selvi J. Jayalalitha. Therefore, this portion mentioned by the hon. Member should be expunged. It is wrong. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Krishnaswamy, let the hon. Member conclude. Everybody is getting the chance to speak on this issue in the House.

… (*Interruptions*)

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, the hon. Member is mentioning wrong facts in the House. How can it be allowed to go on record? It is wrong … (*Interruptions*) It was only in 1996 during the Chief Ministership of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi that it was introduced in Tamil Nadu. … (*Interruptions*) Therefore, I would request that it should be expunged. Please expunge it from the records … (*Interruptions*[ak57])

SHRI B. MAHTAB : I would say that different State Governments, in their wisdom, have enacted reservation for different castes.

17.10 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

In different Parliaments of this world, reservation has been there relating to caste, relating to religion, relating to language, and even in case of minorities, reservation also has been there. This idea of having reservation according to gender is a new concept. This concept was first formulated by the United Nations in 1975 when it declared the decade from 1975 to 1985 as the 'Decade for the Women'. Subsequently, in 1985, a Delegation comprising some Members of the then Lok Sabha and Rajya Sabha went to Beijing to attend the International Year of the Women. There, in the Social Council of the United Nations, it is called 'Economic and Social Council of the United Nations', it was first propagated that adequate representation for women, specially

33-1/3 reservation for women, should be done in the decision-making process levels. This was the wording. This decision was taken in that international forum. At that time, I think, 191 countries were members of the United Nations where this decision was taken that all administrative set ups in different countries should encourage women's participation in the decision-making process. That is how this idea was formulated.

Madam Chairperson, when you were speaking about empowerment of women, you had very categorically stated what Mahatma Gandhi had done during the freedom struggle. My mother was involved in the struggle. She was encouraged by Mahatma Gandhi himself. A number of women from a remote village of Orissa travelled hundreds of miles not only to meet Mahatma Gandhi, but also to offer their ornaments and also to dedicate themselves for the cause of this nation. This has happened when whole country rose forgetting the gender bias. Mahatma Gandhi had specific project work for them. That is how the society developed and the conscience developed and empowerment was given.

At the same time, I would also like to mention, Madam, while involving women in the decision-making process, we should take into account that from 1993-94 till 2005, how many reviews have been made after the empowerment of women in the Panchayati Raj institutions, in the urban bodies, what impact it has had in the decision-making process, what impact it has had in the administrative processes, and what impact it has had on the society at large. Of course, matters have been raised as to what impact it has had in the society, in the household, and in the family itself. That is another matter. I would like to know from the Government whether actually any study has been made about the impact it has had because it is necessary.

In one of the meetings where a number of delegates had come from abroad, a number of lady parliamentarians were totally enthused that this type of Bill is being discussed for the last so many years on women empowerment where we will have 33-1/3 reservation for the women here in this Parliament. They were looking up to India[R58].

They were enthused. At the same time, they also wanted to know as to what type of impact it would have on their societies if so many Members come to the Parliaments of Irish or Iceland or Finland or any of the Scandinavian countries. What impact it would have on their societies in the decision making process? As a concept, there is no doubt, this idea should be supported but in the practical level, we all know as to what has happened since 1998 till 2005 and as to why a consensus should be reached to arrive at a decision.

I would say that the main party of UPA, the main party of NDA, and the main party which is in between, support this. So also we support it. So what is the problem of piloting this Bill in this House and get it passed in Rajya Sabha? Who is pulling the leg? Who does not want it? Everybody wants empowerment of women. But at the same time, I would like to draw the attention of this House, through you, Madam, to another point. A great change has taken place after the addition of the Tenth Schedule and after the Anti-Defection Law had come into force. We talked of empowering the women so that they can come and take part in the decision making process. What decision do we take here, in this House? Decision is actually not taken in different legislatures. We all know that the decision is not actually taken in this House either. Certain things are debated and discussed but actually decision is taken in the Cabinet; actually the decision is taken in party headquarters. Very rarely, decision is only given a stamp of approval in this House. But actually decision is taken there.

The Election Commission in its wisdom had suggested as to why not different political parties decide and give reservation of one-third seats to women candidates when they select their candidates but the actual decision is taken there in the political party headquarters. It is because after the amendment in the Anti-Defection law, which has been included in the Tenth Schedule, leader is the main person. Hardly the Members, who get elected to the House or the legislature, they can do anything to go against the decision of the leader. It is the leader who decides how his party is to run; it is the leader who decides in what manner the party has to vote. Otherwise, the Member will forfeit his seat. The House does not take the decision. Yet we support the Resolution moved by Shri Chandrappan. We support that this House empower them. Empowerment that will come through the representation of one-third women Member in this House or in legislature is that a sense of dignity will come; a sense of recognition will come; a sense of appreciation will come. Only thing, I think, that is also required is that which had happened during pre-Independence or during the freedom struggle when recognition by the society; recognition by the leader; recognition by the political parties was given to women then they were at the forefront of the freedom struggle. Somehow or other within the last 58 years, many political parties had lost track. I think, this time, the political parties should think over this and strive to empower women Members and by doing so can remove the gender bias. If this type of recognition is given, I would say, Biju Janata Dal supports reservation for women, and personally, I also support the reservation for women.

MS. INGRID MCLEOD (NOMINATED): Madam Chairman, I rise to participate in the discussion on the resolution moved by Shri C. K. Chandrappan to bring a suitable legislation to reserve one third seats for women in all the State legislatures and both Houses of Parliament.

Madam, adequate representation to women in parliamentary bodies is a contentious issue. This issue is debated in many forums and remains close to the hearts and minds of millions of Indian women, who, no doubt, have a stake and interest in voting women to power. It is now nine years that the Bill providing for 33 per cent reservation for women was first introduced in Parliament. Given that women represent 48.3 per cent of the total population, which is almost 50 per cent of the total population, it is imperative that they share in the responsibility of governance at the highest level. The average Indian woman can no longer be considered backward women. Marching from kitchen to Cabinet has long been the greatest success story in women's development.

In retrospect too, few women make it to the Parliament to participate in decision-making and legislation, which by and large affect the country. Women all over the country feel the need for more representatives who understand their feminine interest. Women take for granted that women representatives are more suitable to protect their interest. Despite all indications and statistics, women are being, to the contrary, denied the right of 33 per cent reservation in the Indian Parliament.

Women constitute a large workforce in our economy and provide sustenance for their families. If women were to demand pay for all kinds of work that they do, the economy would crumble. Even our esteemed Finance

Minister will have sleepless nights. If all women in India were to go on a strike only for one day, it would spell : ' DISASTER. UNPRECEDENTED'.

We do hear of huge rallies and strikes in support of some obscure political cause, often stage-managed, to achieve their cause. Are women expected to resort to dishonest tactics just to prevail over an unreasonable and obdurate lobby whose only object is "don't let the Women's Reservation Bill see the light of day"?

Madam, the national policy for empowerment of women in the Ninth Plan talks about providing equal access to participation in political life. Women do have access to participation in politics. But why should it be only at the lowest levels? Surely the Planning Commission wants to put across the message that it is time that women have the numbers in all legislative bodies. Is this message getting through to the Members sitting in this august House in the proper perspective? The Planning Commission sets valuable targets to be achieved only within a certain period. This august House tries to achieve those targets within an optimum timeframe. To prolong and delay the passage of Women's Reservation Bill, which is so intrinsic to the timely development of the country as a whole, is to deny the people the justice that is manifest in the Constitution. To deny the people of this country the enhanced vibrant political system, which would be made possible by the participation of more women in Parliament, is to deny every woman the right to self-dependence[pkp59].

Therefore, I feel that women representation in Parliament should increase. With these few words, I thank you very much, Madam Chairman, for giving me this opportunity to speak on such a sensitive issue.

SHRIMATI MINATI SEN (JALPAIGURI): Thank you Madam Chairperson. The resolution which was brought by hon. Member Shri C.K. Chandrappan in the last Budget Session for the one third reservation of women in the legislature, I, on behalf of my party support that resolution. A country, a nation can be identified by the status of women. Women are the mirror of the society. If we go through the world history, we will find that in Russian revolution, French revolution and other such struggles, even in the Indian freedom movement, fight against colonialism and imperialism, women have always been in the forefront. But we must say that women are exploited, oppressed in every possible manner despite the important role they play in the society. However our Constitution makers had given enough recognition and rights to the womenfolk to make their position strong. In India, many laws have been enacted to safeguard the interests of women since the time of independence like – Special Marriage Act 1954,The Hindu Marriage Act 1955, The Immoral Traffic (Prevention) Act 1956, Dowry (Prohibition) Act 1961, Child MarriageRestraint (Amendment) Act 1979, Commission of (Prevention) Sati 1987, also the National Plan for Action for the Girl Child, National Policy for the Empowerment of Women are there. Still incidents of rape, dowry crime, sexual harassment are on the rise.

Crime against women is increasing day by day. According to 1999,total crime against women about 67% of the incidents comprised of kidnapping and abduction; 54% of the victims were minors. The most alarming thing is that, according to the 2001 census, barrring Kerala, in all other States – even in Punjab – which has the highest per capita income, the sex ratio has declined. In 1991 it was 945 per thousand male – in 2001 it has become 927.

*Translation of the speech originally delivered in Bengali.

In our country, 7.5% of the Central Government employees are women. Here in the remote villages, 80% of the labourers are women. They have no land of their own. The report of Food and Agricultural Organisation (FAO) shows that a pair of bullock work for 1064 hours a year, a man works for 1212 hours whereas a woman works for 3485 hours a year.

We have celebrated decade for women, women year etc but the condition of women has not changed. We have seen that in 2002 according to Progress of the Women Report of UNIFEM, in the entire world, the percentage of woman representatives in Parliament is 14 and in our country it is less than 9%. But in Scandinavian countries the number is higher. In Morocco, Syria, etc., women are more than 10%. In sub-Saharan region, the percentage is at least 13%, which is more than developed countries. In Rwanda 25.8% are women, in Uganda 24.7% are women.

In India, for the last two decades we are fighting for women reservation, both inside and outside Parliament. All the political parties had assured before election that if they come to power, they will consider the reservation issue but no one kept promise. During the NDA regime, we had met our ex-Prime Minister Atal Behari Vajpayee Ji. He had said that the Bill would be introduced if all the parties agree, if there is consensus. We have experienced that a monstrous Bill like POTA has been passed in this Parliament.

Madam, we want this Bill to be introduced in its present form and voting should also take place on this issue. The true faces of the parties will be exposed only then. In India, Sri Lanka, Bangladesh, Great Britain – we have seen women premiers. In our country, we have women Chief Ministers also who are running the States pretty successfully. Since 1955 to 1997 in 6 countries – Ethiopia, Latvia, Peru, Jamaica, Malta and Poland, women Speaker was there in the Parliament. In India, lakhs of women are representing themselves after the 73rd and 74th Constitution Amendments Acts. We believe that if they come to the legislatures, they will be able to take part in the decision making process as a result of which exploitation of women will come down.

The introduction of the Bill depends on the political will of the parties. Before I end, I have one more request to make. The amended Domestic Violence Against Women Bill should also be introduced in this august House.

With these words, I on behalf of my party, thank you a lot for giving me the opportunity to speak on the subject.

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया और हमें अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। देश में लम्बे समय से महिलाओं के ऊपर सामाजिक अत्याचार, अन्याय और आपराधिक घटनाएं होती रही हैं।

पूरे समाज को, पूरे देश को एकजुट होकर उनके प्रति हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हम इस बात के कट्टर समर्थक हैं और हम आज की महिलाओं की उस स्थिति से इत्तेफाक रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि:

'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।'

आपने एक कवियित्री के इस पद्य को लेकर अच्छा चित्रण आज के महिला समाज और नारी को चित्रित करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि कोई भी प्रबुद्ध वर्ग, कोई भी राजनैतिक और सामाजिक मूल्य रखने वाला संगठन इस देश में नहीं है, जो महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहता हो, ऐसा कोई भी संगठन नहीं हो सकता। यदि है तो वह बहुत कम परसेंटेज में लोग हम लोगों के सामने आते हैं, जिनके दोहरे चेहरे हैं। ये दोहरे चेहरे वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो तुलसीदास जी के उस पद्य पर विश्वास रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि:

'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।'

हमें इन पद्यों पर आश्चर्य है कि ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों की तरफ से क्रान्ति की बातें आ रही हैं, यदि आ रही हैं तो मैं उसे एप्रीशिएट करता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ जो हर स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता रहा है, उस हर स्तर की 1-1 करके समीक्षा करने की आवश्यकता है। डिसीजन मेकिंग से पहले, निर्णय लेने से पहले, उसके हर बिन्दु को जांचने और परखने की आवश्यकता है। होमोजिनिटी एक शब्द है, जो इस डिसीजन मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम यदि महिला आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण किसी सैक्शन को, किसी वर्ग को, किसी समुदाय को इसलिए दिया जाता है कि वह वर्ग, समुदाय, सैक्शन असुरक्षित महसूस करता है और अपोर्चुनिटी मिलने के बावजूद वह अपने आपको उठा नहीं पाता है, बराबरी में नहीं ला पाता है, इसके लिए आरक्षण दिया जाता है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इस तरह की समीक्षा महिला आरक्षण में निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है। हम आपसे इस सदन में कहना चाहते हैं कि समाज की अन्तिम पंक्ति में बैठी वैसी महिलाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। परन्तु यह काम बहुत जल्दी का काम नहीं है, क्योंकि रूढ़िवाद इस देश को बहुत लम्बे समय से पकड़े हुए रहा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता : हमारा आर.जे.डी. का टाइम देखकर उसके हिसाब से हमसे कहा जाये, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें पार्टी वगैरह नहीं होती है।

श्री आलोक कुमार मेहता : महिलाओं में एक ऐसा वर्ग है, जो समाज की अन्तिम पंक्ति में, गांव के अन्तिम छोर पर बसता है। उसमें जागरूकता की बहुत कमी है और न के बराबर जागरूकता है। उसे भी मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। आरक्षण जिन सुरक्षा कारणों से, मानसिक सुरक्षा देने की दृटि से हम लागू करते हैं, उन्हें सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, सोसायटी में उसे अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, हम बताना चाहते हैं कि सदन में जितनी महिला माननीय सांसद हैं, वही महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं समाज के अन्तिम छोर और गांव के अन्तिम छोर पर भी हैं। अति ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ cé*[i60]

पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और जितने भी डिप्राइव क्लास के लोग हैं, उनकी महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत इसमें शेयर करता है। लगभग 90 प्रतिशत इस वर्ग की महिलाओं का समाज में शेयर है। आरक्षण का प्रावधान संविधान बनने के समय से है लेकिन उसे लागू करने के लिए नीयत और नीति में बहुत विभेद रहा है। डॉ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन जब उसे लागू करने की बात आयी तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बहुत सी संस्थाएं हैं, जहां निर्णय लागू करने की बात आती है तो विभेद होता है और वहां सभी तरह के प्रपंच रचाकर डिप्राइव क्लास को ऊपर आने नहीं दिया जाता है। केवल 50 प्रतिशत में ही उनको समेट दिया जाता है। ऐसा लगता है कि बचे हुए लोगों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है और जो लोग स्वतन्त्र रूप से आ सकते थे, उनको आने से रोका जाता है। इसलिए आरक्षण लागू करने से पहले इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : श्री शेलेन्द्र कुमार जी।

...(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं प्रेरणादायक शक्ति हैं लेकिन आरक्षण का लाभ केवल कुछ क्रीमीलेयर महिलाओं को ही न मिले, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है। यदि हम आरक्षण देना चाहते हैं तो पूरे समाज की महिलाओं को यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें आरक्षण मिला है। राट्रीयता को अपने ड्राइंग रूम में, शोकेस में मोमेंटो की तरह रखने वाले लोग महात्मा गांधी के उद्धरण को अपने ढंग से इंटरप्रिटेट करते हैं और महात्मा गांधी जी के रामराज की तुलना तुलसीदास जी के रामराज से करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी का रामराज समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित था लेकिन तुलसीदास जी का रामराज खतरनाक भावनाओं से प्रेरित था। इन दोनों में फर्क करना हमारे साथी सीखें। मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज को भगवा रंग में रंगना उचित नहीं है। जब आरक्षण की बात हो...(व्यवधान)

डॉ. रामकृण कुसमरिया (खजुराहो) : महोदया, पहले माननीय सदस्य तुलसीदास जी को पढ़ लें, उसके बाद उनके बारे में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN Nothing, except the speech of Shri Shailendra Kumar, will go on record.

(Interruptions) ...

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदया, मैं अपनी बात जल्द समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं कई बार आपको वार्निंग दे चुकी हूं, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : सीता को जिस तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वह आज का रूढ़िवाद है। आज भी वैसे ही रूढ़िवादी तत्व अपने घर में बहू-बेटियों को जलाते हैं और बाहर समाज सुधार की बातें करते हैं। मैं अपने तमाम साथियों को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे फेक्टर्स को कंसिडर किया जाए और उसके बाद आरक्षण का निर्णय लिया जाए।

सभापति महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार जी, कृपया आप सभी समय का ध्यान रखें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : आपने मुझे विधानसभाओं तथा संसद में एक तिहाई महिला आरक्षण संबंधी संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सदन में बैठे सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस संबंध में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को बदनाम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन जो उसका स्वरूप है, वह बहुत ही खतरनाक है। लम्बे समय से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको रोकने के लिए यह बहुत बड़ी साजिश cè[MSOffice61]।

हम चाहते हैं कि सदन में महिला आरक्षण बिल आए, लेकिन उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया जाए - चाहे डा. भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का संवैधानिक मुद्दा था या हमारी जो मंशा है, वह तभी सही होगी। हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम यही देख रहे हैं कि समाज में आज भी महिलाएं दबी-कुचली हैं, बहुत रेयर केसेज़ में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। उनको कम से कम उचित स्थान दें।

अगर देखा जाए तो भागीदारी के रूप में मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या कभी भी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही, जबकि काफी महिलाएं जीतकर आई हैं। हमारी कई सम्मानित बहनों ने विस्तार से इस बारे में बताया। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। मैं महिला आयोग की अध्यक्ष, डा. गिरिजा व्यास की आयोग की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट के कुछ अंश पेश करना चाहूंगा। महिला आयोग में ज्यादातर आईएएस से लेकर निचले कर्मचारियों तक के यौन उत्पीड़न की शिकायतें बराबर मिली हैं और 7 वर्ा से लेकर 70 वर्ा की महिलाओं के साथ आज भी बलात्कार हो रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने सदन में समय-समय पर चर्चा की है कि कन्या भ्रूणहत्या के खिलाफ कानून बने हैं, लेकिन उन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। एक तरफ हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्याओं के खिलाफ कानून में बहुत लचीलापन है। इसे हमें सख्त करना पड़ेगा।...(व्यवधान) दहेज निरोधक कानून बने हैं, लेकिन उस बारे में भी हमारे यहां बहुत शिकायतें आती हैं। हमने देखा है कि हम महिला थानों में शिकायत करते रहते हैं लेकिन पीड़ित महिलाओं को न कोई सहूलियत मिल पाती है और न ही उनकी समस्या का निराकरण हो पाता है। डा. गिरिजा व्यास की रिपोर्ट है कि अगर हमारे पास दस शिकायतें आती हैं, तो उनमें से सात दहेज से संबंधित होती हैं। आज हमें अपनी सामाजिक सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। आरक्षण के मुद्दे पर जब तक सभी पार्टियों की सर्वानुमति नहीं होगी, हम आरक्षण बिल पास नहीं करवा

सकते। आज भी हमारी तमाम साथियों से बात होती है। उनकी अलग-अलग राय है। एक कहावत है - न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। मैं कहना चाहूंगा कि 1992 में भी इसी क्रम में पंचायती राज विधेयक लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री जी ने पंचायती राज के तहत चुनाव करवाया, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, टाउन एरिया के चेयरमैन, बीडीसी के सदस्य या प्रधान, तमाम महिलाएं चुनकर आई हैं, लेकिन कुछ ही महिलाएं तेज-तर्रार हैं, जो खुद बैठकों में जाती हैं, अन्यथा उनके पति सब काम करते हैं। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि अधिकार मिलने के बाद हम इसे कहां तक लागू कर सकते हैं। ऐसा न हो कि हमारा कानून बिल्कुल कमजोर हो जाए और जिस लड़ाई को हम आगे लड़ रहे हैं, वह लड़ाई कमजोर पड़ जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सदन में आरक्षण बिल आए तो उसमें स्वेच्छा से वोटिंग करवाने की व्यवस्था की जाए, यह नहीं कि आप व्हिप जारी करके वोट डलवाएं। तभी असलियत पता लगेगी कि महिला आरक्षण बिल पास होता है या नहीं। हमें इसमें शंका है। मुझे मालूम है कि इस बिल को लाने के लिए आज भी दबाव पड़ रहा है, जबकि स्वेच्छा से हर पार्टी में सर्वानुमति नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी बिल आए, उसमें सर्वानुमति हो और सब उसे स्वेच्छा से स्वीकार करें।

मैं पुरुषों के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारा देश पुरुष प्रधान कहा गया है, लेकिन बिना पुरुष के महिलाएं आगे बढ़ भी नहीं सकती हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : ठीक है, आपने सर्वानुमति जताई है, अब कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसमें पुरुषों की भागीदारी भी विशेा तौर पर होनी चाहिए। हमारी बहनें राजनीति में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी मांग रही थीं। मेरे ख्याल से 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए सौ साल लगेंगे।...(व्यवधान) कृणा जी, आप डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं आप ही के दल की भावना की बात बता रहा हूं[R62]।

आप टटोलकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या असलियत है। हम तो जानते हैं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं।...(व्यवधान) मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने पहले भी कहा है। मैंने अपने दल की बात कही है। हमारे दल के डिप्टी लीडर रामजी लाल सुमन जी ने भी बातें कही हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है। इसलिए आपने मुझे समय दिया, कुछ बातें खासकर कृणा जी ने बहुत इंटरप्ट किया, मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : सभापति महोदया, मैं मंत्री भी और एक महिला भी हूं। हम महिलाएं उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रही हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। हम अपने अस्तित्व का अधिकार मांग रही हैं।...(व्यवधान)

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected Chairperson, I rise to support the Resolution moved by the hon. Member, Shri C.K. Chandrappan. I am deeply delighted to participate in this discussion, especially when a woman hon. Member is occupying the Chair. The Resolution of Shri Chandrappan reflects the desires and the aspirations of the entire women population of this country and also the right-thinking social reformers of this country who have been wanting this legislation for a very long time to undo the social injustice that we have done to women folk. Our Party PMK and the Founder President of our Party are committed to the cause of women. We have been pleading for equal rights, equal share in property, and equal justice to women. No wonder that we have introduced or endorsed the move for reservation for women in Parliament and State Legislatures as part of our manifesto. Naturally, therefore, we would support this Resolution. We urge the Government of India to bring forth the legislation at the earliest.

Now, I would like to ask a question. Why has reservation been demanded for so long in Parliament and in various other forums? The reason is very obvious. Women, as a component of Indian population, is not

adequately represented. If they had been represented adequately, in proportion to their population, the question of reservation would not have arisen. Why do we ask for reservation for OBCs? It is because they are not adequately represented. Why did Dr. Ambedkar want reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes? It is because they were not adequately represented. Likewise, in the case of women also who form half of the total population, they are not represented in the political decision-making bodies of the country. As a result, they have not been able to aspire or express their concerns in the respective bodies.

For instance, let me give you the statistics. In the First Lok Sabha, out of 499 Members, only 22 were women; in the Fourteenth Lok Sabha, out of 543 Members, only 45 are women, which constitutes only 8.3 per cent of the total membership.

MADAM CHAIRMAN: Now, you have only one minute left. These statistics have already been given.

PROF. M. RAMADASS : But in other countries we have this representation. Therefore, we need to give this reservation.

The second reason why we are asking for it is in spite of all that we have done to promote or enhance the status of women in this country, their status leaves much to be desired. Socially, economically and educationally, their status is far behind that of men. Therefore, they need to be empowered politically. We have tried to empower them economically and socially in the last one decade or so. But unless we give them political empowerment, their economic status cannot be improved. Therefore, we have to redress this injustice. The principle of 'unequal treatment to unequals' is the only answer to this and reservation is the only solution. Direct access to political power would enhance the economic and social status of women. As women tend to be less corrupt and as they have more administrative acumen, they will be able to take us to greater heights[r63].

Mrs. Indira Gandhi shown to the world how capable she was, and how she was able to take India to faster progress. The Panchayati Raj Act has shown to the world and to India that it can revolutionise the participation of women at the grass-roots' level. When we have permitted at the grass-roots' level this reservation principle for women, they are doing more, they have become more active, more involved in the developmental activities and the status has been improved. Then, why should it not be at the higher bodies, at the Parliament and at the State Legislature? Therefore, we have to come forward with a concrete proposal.

Four proposals have been placed before this nation. One is the proposal given by the Election Commission, that the political parties will give 1/3rd of the seats to women. The second is that within the existing 543, you reserve 1/3rd seats for women. The third is that we have dual member constituencies out of these 543 seats. The latest proposal of the Government is to increase the number of seats by 1/3rd, that is, 544 plus 181 leading to 725. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude. मुझे अभी दो अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देना है।

PROF. M. RAMADASS : So, the Government will have to take any one of these proposals, study the merits and demerits of them and come out with a proper proposal. In our view, increasing the number of seats has got certain practical logistic difficulties and the Government should really look into the case. In a vast country like this, increasing the number of seats would mean further delimitation of constituencies, which would delay the

process and, at least for the next two parliamentary elections, we will not be able to reserve seats to women. Secondly, it would lead to additional expenditure on the part of the Government. This has to be kept in mind and see whether we will be able to afford to do this and whether we will have the other logistic support for this. Whatever it is, it is not that we are opposing the move of the Government if there is a consensus, but consensus should not elude a decision this time. The ensuing Parliament Session must come out with a concrete Bill we should remember that in all the cases, we are not going to get the consensus if the majority will prevail… (*Interruptions*) we should pass the Bill.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

Prof. Rasa Singh Rawat.

PROF. M. RAMADASS : The Government should take the majority will and do justice to the women of India. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : I have already called Prof. Rasa Singh Rawat. So, please conclude.

PROF. M. RAMADASS : That would be the greatest tribute that we will be doing to them, and we will be fulfilling the commitment under the Common Minimum Programme which the Government has given to the people of this country.

सभापति महोदया : रासा सिंह रावत जी, कृपया अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदया, मैं श्री सी.के.चन्द्रप्पन जी द्वारा प्रस्तुत महिला आरक्षण सम्बन्धी जो संकल्प है, उसका समर्थन करता हूँ। महिलाओं को उनका अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। हम वर्ा 1996 से लेकर अब तक पशोपेश में हैं कि महिला बिल किस रूप में लाएं, उसके बारे में मेरा मानना है कि यह बिल जिस रूप में सबसे पहले आया था, उसी रूप में इसे लाया जाना चाहिए। बाद में धीरे-धीरे जब महिला समुदाय को निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगे, तब उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों को शामिल किया जाना चाहिए। एक बार हमें कम से कम शुरूआत तो करनी चाहिए, हम आगे कदम बढ़ाना तो सीखें। अगर हम शुरू में ही यह सोचकर कदम नहीं बढ़ाएंगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो यह उचित नहीं है। इस पर मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है :

"पता नहीं हम कहां से चलकर, कहां पहुंचकर ठहर गए,

हमारे सीने पर लात रखकर, काल के लश्कर गुजर गए।

हमारी टूटन, तुम्हारे कायदे, फना हो गए कहां तेरे वायदे,

जिन चेहरों पर हैं निगाहें डाली, कई लबादे उतर गए हैं।।"

अर्थात लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। इसमें हम सभी सम्मिलित हैं। हमें आत्म-साक्षात्कार करना चाहिए कि आखिर उस देश में, जहां कहा जाता है "वेदों का है ऐलान, नर-नारी हैं एक समान" वहां महिलाओं को यह अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी हमारे एक माननीय साथी ने रूढ़िवाद की बात कही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल से ही महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त है। महाराज मनु ने कहा है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता" अर्थात जिस घर में महिलाओं को सम्मान मिलता है वहां देवताओं का निवास होता है और जिस घर में महिलाओं की स्थिति चिन्तनीय होती है तो वह घर, परिवार या समाज शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अगर हम पौराणिक दृटि से भी देखें तो सदैव लक्ष्मीनारायण में नारायण से पहले लक्ष्मी, सीताराम में राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है*[cmc64]

18.00 hrs.

गौरी शंकर में शंकर से पहले गौरी का नाम हमारे देश के अंदर लिया जाता है। इसी तरह पौराणिक दृटि से जिस तरह त्रिदेव की कल्पना की गई है, उसी तरह त्रिदेवी की कल्पना भी की गई है। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा। इस तरह से महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। हमारे यहां कहा गया है - माता निर्माता भवति। मातृत्व शक्ति निर्माण करने वाली होती है। आज हमारे पचांयती राज के अंदर या स्वायत्तशासी निकायों में, नगर निगमों में, म्यूनिसिपल कमेटीज में महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें आप देखें कि महिलाएं कैसे दत्तचित होकर, निठापूर्वक अपने कार्य का पालन कर रही हैं। चाहे वह सरपंच के रूप में हो या पंचायत समिति के सदस्य के रूप में हो या जिला परिद के सदस्य के रूप में हो। महिलाएं अपेक्षाकृत भ्रटाचार से दूर रहती हैं। हालांकि यह बात अलग है कि अशिक्षा के कारण वे नियम वगैरह से परिचित नहीं हैं, परिणामस्वरूप अपने पति या भाई का उन्हें सहारा लेना पड़ता है। मैं समझता हूं आने वाले समय में - धीरे-धीरे रे मना, धीरे-धीरे सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि वह महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र लाने का प्रयास करे, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है, बुरा वही है, जिसकी नीयत बुरी है। यह अगर-मगर करना ठीक नहीं है।

तू अगर मगर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा

मुझे राहजनी से गिला नहीं, सवाल तो तेरी रहबरी का है।

हम तो रहबर बनना चाहते हैं, समाज का पहरेदार बनना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। महिलाएं जागृति की बात करती हैं, तो फिर महिला आरक्षण के अंदर संकोच कैसा इसलिए इस बिल को शीघ्र ही पेश किया जाए।

सभापति महोदया : रासा सिंह जी, एक मिनट ठहरें।

श्री रामजीलाल सुमन : रासा सिंह जी, उर्दू बहुत नाजुक भाा है। आपने जो शेर बोला, वह ठीक नहीं है। सही शेर इस प्रकार है :-

इधर-उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लुटा

मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं क्षमा चाहता हूं। समय कम था इसलिए एक लाइन रह गई।

MADAM CHAIRMAN : It is Six of the Clock. Six more speakers are there to speak on this Resolution. So, if the House agrees, I would extend the time of this Resolution by one hour. Next time, it can be taken up.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

सभापति महोदया : रासा सिंह जी, अगली बार जब यह संकल्प आएगा, तो आप कंटीन्यू करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : ठीक है।

MADAM CHAIRMAN: The Private Members' Business is over. We will take up Special Mentions. The time of the House is extended till these Special Mentions are over. I think the House is agreeable to it.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.